

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.2(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 09.07.2018

आदेश


डा. हरिसिंह जाट, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त), श्रीकल्याण अस्पताल, सीकर को श्रीकल्याण अस्पताल, सीकर का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 के अन्तर्गत कार्यालयाध्यक्ष घोषित करते हुए आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. जिला कलेक्टर, सीकर
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प. क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, जयपुर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीकल्याण अस्पताल, सीकर
7. कोषाधिकारी, सीकर
8. डा. हरिसिंह जाट, वरिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त), श्रीकल्याण अस्पताल, सीकर
9. कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


शासन उप सचिव